



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082024-256131
CG-DL-E-07082024-256131

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3054]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2024/ श्रावण 16, 1946

No. 3054]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2024/ SHRAVANA 16, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2024

का.आ. 3203(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड' (पैन: AAAGH0732F), कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

- (क) कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान,
(ख) बैंक जमा पर ब्याज।

2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अध्वधीन प्रभावी होगी कि 'कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड', -
(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
(ख) इसकी गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और
(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।
3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2021-2022 एवं 2022-2023 के लिए संगत निर्धारण वर्षों 2022-2023 एवं 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 97 /2024/फा.सं.300196/3/2022-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2024

S.O. 3203(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Kalyan Karnataka Region Development Board' (PAN AAAGH0732F), a Board constituted by the Government of Karnataka, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

- (a) Grants received from State Government of Karnataka.
 - (b) Interest on bank deposits.
2. This notification shall be effective subject to the conditions that Kalyan Karnataka Region Development Board -
- (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment years 2022-2023 and 2023-2024 relevant for the Financial Years 2021-2022 and 2022-2023.

[Notification No. 97/2024, F. No.300196/3/2022-ITA-1]

VIKAS SINGH , Director (ITA-I)

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.